*Quest Journals*
*Journal of Research in Humanities and Social Science*
*Volume 6 ~ Issue 1 (2018) pp: 78-81*
*ISSN(Online):2321-9467*
www.questjournals.org

**Research Paper**

# प्राथमिक शिक्षा का वित्तीय प्रबन्ध, बजट निर्माण एवं क्रियान्वयन

डॉ. भागीरथमल
*व्याख्याता – लोकप्रषासन विभाग*
*राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर*

**वित्तीय प्रशासन का महत्त्व :-**

मानव शरीर विभिन्न इकाईयों का एक सम्मलित ढाँचा है, शरीर की विभिन्न इकाइयाँ अपने-अपने कार्यों को सम्पन्न करती हैं। ये समस्त इकाइयाँ एक दूसरे पर आश्रित होती हैं। एक इकाई की सहायता के अभाव में दूसरी इकाई ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाती है। जिस प्रकार इकाइयों को जीवन दान प्रदान करने लिए रक्त का होना अत्यन्त आवश्यक है, रक्त ही समस्त इकाइयों का ईंधन है, उसी प्रकार प्रशासनिक दृष्टि से समस्त प्रशासन का जीवन-रक्त वित्त है।[1]

वित्त के अभाव में प्रशासनिक ढाँचा सुचारू एवं कार्यकुशल रूप में नहीं चल सकता है। प्रशासनिक स्तर पर योजनाएँ कितनी ही ठीक व सक्षम क्यों न हों लेकिन वित्त के अभाव में उनकी क्रियान्विति संभव नहीं हो सकती है।[2] अतः कौटिल्य ने ठीक ही कहा है कि "सभी उद्यम वित्त पर निर्भर हैं। अतः कोषागार (ट्रेजरी) पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाना चाहिये।"

लॉयड जार्ज का तो यहाँ तक कहना है कि जिसको शासन कहते हैं वह वास्तव में वित्त ही है. वित्तीय व्यवस्था का ढाँचा अत्यन्त सुदृढ़ होना चाहिये। सरकार राजस्व के रूप में देश की समस्त आय प्राप्त करती है।[3] अतः सरकार का यह नैतिक कर्त्तव्य है कि उस धन या राजस्य का मितव्ययी तथा विवेकशील रूप से खर्च करे । प्रजातांत्रिक युग में तो वित्तीय प्रशासन का महत्त्व और भी अधिक बढ़ जाता है तथा जनता के कल्याण पर अधिक ध्यान दिया जाता है । वित्तीय प्रशासन समस्त देश के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक ढाँचे को प्रभावित करता है । हवर कमीशन के शब्दों में "यह आधुनिक शासन के अन्तःस्थल तक पहुँच गया है।"[4]

**भारत में वित्तीय प्रशासन के अंग या अभिकरण :-**

वित्तीय प्रशासन में वे समस्त क्रियाएँ आती हैं जो लोक सेवाओं पर आवश्यक धनराशि व्यय हेतु धनराशि की प्राप्ति, व्यय तथा लेखांकन तथा लेखापरीक्षा से संबंध रखती हैं। इन समस्त क्रियाओं को सम्पन्न करने के लिए भारत में अग्र लिखित अंग या अभिकरण एक श्रृंखला के रूप में कार्य करते हैं जिन्हें चित्र 8.1 में दर्शाया गया है।

चित्र संख्या 8.1

भारत का वित्तीय प्रशासन

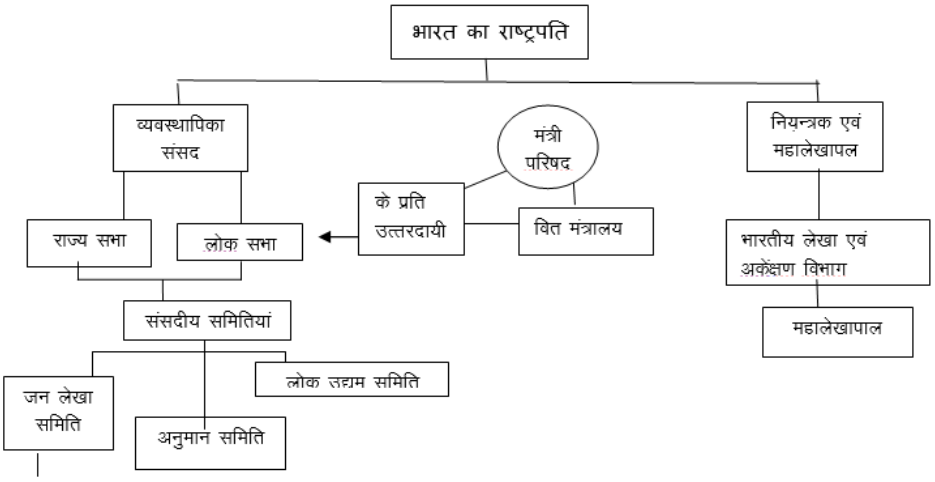


(1) विधान मण्डल अथवा व्यवस्थापिका

(2) कार्यपालिका

(3) वित्त विभाग या राजकोष

(4) लेखा परीक्षण अथवा जाँच विभाग

(5) संसदीय समितियाँ

**(1) व्यवस्थापिका या विधान मण्डल : -**

लोक तांत्रिक शासन व्यवस्था में देश के राजस्व पर व्यवस्थापिका का अधिकार होता है। प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका या संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी प्रकार का कर नहीं लगाया जा सकता है, न इसे एकत्रित किया जा सकता है और न ही व्यय किया जा सकता है। संसदीय शासन व्यवस्था में प्रायः दो सदनों की व्यवस्था होती है। शासन की कार्यपालिका शाखा द्वारा माँगें रखी जाती हैं तथा विधान मण्डल द्वारा उनको स्वीकृति प्रदान की जाती है। भारत एवं इंग्लैंड के निम्न सदन क्रमशः लोकसभा एवं कॉमन सभा को करों को लगाने, इकट्ठा करने और खर्च करने की स्वीकृति देने का अधिकार प्राप्त है। इन दोनों देशों में उच्च सदन को इस विषय में अधिक शक्ति प्राप्त नहीं हैं।[5]

**(2) कार्यपालिका :-**

कार्यपालिका वित्तीय नीति के निर्माण तथा वित्तीय वर्ष के लिये आय-व्यय के अनुमान तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। वित्तीय माँगों का निर्धारण करके व्यवस्थापिका के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। बजट के निर्माण का संपूर्ण उत्तरदायित्व कार्यपालिका के ऊपर ही होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार "राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सम्मुख वित्तीय वर्ष के लिये सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण प्रस्तुत करता है ।"

**(3) वित्त विभाग या राजकोष :-**

भारतीय प्रशासन में वित्तीय प्रशासन से संबंधित कार्यों की देखभाल तथा उनके क्रियान्वयन का कार्य वित्त मंत्रालय या वित्त विभाग द्वारा सम्पन्न किया जाता है। ग्रेट ब्रिटेन में यह कार्य राजकोष तथा भारत तथा अन्य राष्ट्रमण्डलीय देशों में यह कार्य वित्त मंत्रालय द्वारा सम्पन्न किया जाता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में इनसे भिन्न व्यवस्था है। वहाँ पर वित्तीय प्रशासन संबंधी कार्य एकीकृत रूप में नहीं है। वहाँ विभिन्न विभाग और अभिकरण वित्तीय प्रशासन के विभिन्न दायित्वों को संचालित करते हैं।

**(4) लेखा परीक्षण तथा जाँच विभाग :-**

लेखा परीक्षण तथा जाँच विभाग यह देखता है कि व्यवस्थापिका द्वारा स्वीकृत धनराशि व्यवस्थापिका के आदेशानुसार व्यय की जा रही है या नहीं। इस विभाग द्वारा संपूर्ण व्यय पर सूक्ष्म रूप से प्रकाश डाला जाता है। मर्मज्ञ रूप से जाँच होने के तत्पश्चात् व्यय के औचित्य तथा वैधता का निश्चय हो जाता है। लेखा परीक्षण की स्वतंत्रता सामान्य रूप से 1913 से ही मान्यता प्राप्त कर चुकी है। वर्तमान में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यों एवं स्थिति पर प्रकाश डाला गया है।

**(5) संसदीय समितियाँ :-**

भारतीय संसदीय शासन वाले देशों में विभिन्न संसदीय समितियों की व्यवस्था की गयी है। ये समितियाँ विभिन्न विषयों से संबंधित हैं। वित्त पर नियंत्रण रखने के लिए प्राक्कलन एवं जनलेखा समितियाँ प्रमुख हैं। प्राक्कलन समिति व्यय के विभिन्न मामलों में मितव्ययिता लाने का कार्य करती है। जनलेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर विनियोजन लेखों की जाँच करती है और उनमें पाये जाने वाली विभिन्न अनियमितताओं एवं दुरूपयोगों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करती है तथा भविष्य में उनकी पुनरावृति पर रोक लगाती है। भारत में लोक उद्यम समिति संसद की ओर से लोक उद्यमों पर नियंत्रण दुरूपयोगों वित्त पर नियंत्रण, वित्त का प्रयास समुचित रखना बनाये रखने में वितीय प्रशासन के विभिन्न अभिकरण कार्य करते हैं। अभिकरणों के द्वारा समुचित कार्यो को सम्प करने के कारण प्रशासन में जागरुकता, सत्यनिष्ठा एवं मितव्ययिता का रूप समावेशित होता है।

**बजट :-**

बजट निष्पादकीय प्रबंध तथा वित्तीय प्रशासन का यंत्र होने के साथ-साथ वित्तीय प्रशासन का एक प्रमुख उपादान भी है। बजट को प्रजातांत्रिक सरकारों का आधार कहा जा सकता है। बजट देश के विकास तथा उसकी भावी संभावनाओं का एक चित्र प्रकट कर देता है।

उन्नीसवी शताब्दी में सार्वजनिक वित्त की समस्या को देखते हुए बजट का प्रावधान करना आवश्यक हो गया था। राज्य के कार्यों में अत्यधिक वृद्धि, वित्तीय प्रशासन में फिजूल खर्चा व सरकारी व्यय से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के परिणाम स्वरूप सर्वप्रथम 1803 में बजट प्रणाली का जन्म इंग्लैण्ड में हुआ।

बजट 'शब्द' फ्रांसीसी शब्द बूगैट (Bougette) से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ 'चमड़े का थैला है।' इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन् 1733 में किया गया था जब ब्रिटिश वित्तमंत्री रॉबर्ट वाल पोल ने अपने वित्तीय प्रस्तावों को कॉमन सभा में प्रस्तुत करने के लिये अपने चमड़े के थैले में से निकाला। इसी कारण व्यंग्यात्मक रूप में कहा गया कि वित्त मंत्री ने अपना बजट खोला है। इस परम्परा के अनुरूप वर्तमान में भी सरकार के आय-व्यय के वित्तीय विवरण के लिये इस शब्द के प्रयोग का प्रचलन हो गया है।[6]

**बजट में निम्नलिखित तत्वों का समावेश पाया जाता है।**

(1) बजट अनुमानित आय एवं व्यय का विवरण है।

(2) बजट को स्वीकृत करने के लिये निष्पादक निकाय की आवश्यकता होती है।

(3) बजट निश्चित सीमावधि के लिए होता है।

(4) यह निश्चित प्रक्रिया व तरीके के माध्यम से धन को एकत्रित व व्यय करने की प्रक्रिया का उल्लेख करता है।

सार रूप में यह कहा जा सकता है कि बजट कार्य संबंधी एक योजना है। यह पूर्वगामी वर्ष के लिए मुख्य कार्यपालिका के कार्यों को प्रतिबिम्बित तथा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। इसको न केवल आय एवं व्यय का विवरण मात्र माना जाता है बल्कि यह इनसे कहीं अधिक विस्तृत तथा व्यापक वस्तु है।

**सन्दर्भ सूची :-**

1. सर हर्बर्ट, दी ब्रिटिश बजेटेरि सिस्टम लंदन, एलन्स अनविन लिमिटेड 1959, पृ. 215
2. रिपोर्ट ऑफ़ दी मशिनरी ऑफ गवर्नमेन्ट कमेटी लंदन, एच.एम.एस.ओ. 1918 पृ. 18
3. एपलबी, पी.एच. रि- एक्जामिनेशन ऑफ इण्डियन एडमिनिस्ट्रेटीव सिस्टम, पृ. 21-22
4. एपलबी, ओप सिट. पृ. 22
5. संसदीय कार्यवाही नियम, 132
6. यंग हिल्टन, "सिस्टम ऑफ नेशनल फाइनेन्स" क्वेटेड बाय पी.के. वॉटल, ऑफ सिट, पृ. 91